(23)

विक्रय पत्र

वांछित विवरण

1.	मालियत विक्रय पत्र	—	1,20,000/—रू0
2.	बाजारी मूल्य	—	1,51,200/—रू0
3.	स्टाम्प शुल्क जो दिया जा रहा है	—	12,300/—रू0
4.	सर्किल रेट	—	2400/—रू0 प्रति वर्गमीटर
5.	क्षेत्र	—	मौजा गुन्यिाल गांव, परगना केन्द्रीयदून।
6.	भूमि का प्रकार	—	आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु
7.	प्रमुख मार्ग से दूरी	—	विक्रित भूमि मुख्य मसूरी रोड से 3 किलो मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है ।
8.	सम्पत्ति संख्या	—	भूमिधरी भूमि खसरा नं0 55 रकबा 63 वर्गमीटर स्थित मौजा गुन्यिाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून।
9.	रकबा	—	63 वर्गमीटर ।
10.	विक्रेता का नाम	—	**बिग्रेडियर गुरूचरण सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ, निवासी ग्राम गुन्यिाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून।**
11.	क्रेता का नाम	—	**श्री रोहित बख्शी पुत्र कर्नल आर0एन0 बख्शी, निवासी ग्राम पुरकल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून।**
12.	स्टाम्प शीट संख्या	—	8 शीट।
13.	रचियता	—	श्री आर0के0 शुक्ला, एडवोकेट।

(22)

(5)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

671067

विक्रय पत्र

मैं कि बिग्रेडियर गुरूचरण सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ, निवासी ग्राम गुन्यिाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून ।

....................विक्रेता

एवं

श्री रोहित बख्शी पुत्र कर्नल आर0एन0 बख्शी, निवासी ग्राम पुरकल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून ।

......................क्रेता

जैसा कि विक्रेता इस विलेख का सूची में वर्णित भूमि का एक मात्र मालिक, स्वामी, काबिज,अध्यासी है। सूची मे वर्णित भूमि की बाबत विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में मालिक स्वामी दर्ज व अंकित चला आ रहा है। विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को विक्रय आदि करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

और जैसा कि विक्रेता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति साझीदार, भागीदार नही है। सूची में वर्णित भूमि इस समय तक हर प्रकार के भार, अधिभार, बन्धन, बन्धक,ऋण, आज्ञप्ति, कुर्की, वाद–विवाद, कर्जा सरकारी, गैर सरकारी आदि से मुक्त व पाक साफ है तथा विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को प्रत्येक प्रकार से प्रयोग, उपयोग, उपभोग, विक्रीत, अन्तरित, हस्तान्तरित आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

UTTARANCHL

RBakshi

(IMMOVABLE)

लेख नं 3974

120000.00 मालियत (स्टाम्प दिया गया) 152000.00

पंजीकरण फीस 3040.00 | प्रतिलिपि शुल्क 10.00 | Electronic Processing Fee 220.00 | कुल योग 3270.00 | शब्द लगभग 1000

श्री/श्रीमती/कुमारी रोहित बख्शी

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री कर्नल आर0एन0बख्शी

निवासी पुरकुल गाँव देहरादून

ने आज दिनाँक 27/07/2009 समय 5:12:33PM

कार्यालय उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

में प्रस्तुत की

उपनिबंधक सदर 2 देहरादून

रोहित बख्शी

इस लेखपत्र का निष्पादन उक्त

श्री रोहित बख्शी ,s/o कर्नल आर0एन0बख्शी , पुरकुल गाँव देहरादून

ने स्वीकार किया तथा विलेख का निष्पादन तथा उसमें वर्णित विक्रय

धन मु0 120000.00

पूर्व/नगद मेरे समक्ष प्राप्त कर

श्री गुरुचरण सिंह बाथ [ब्रिगेडियर] ,s/o तेजा सिंह बाथ , गुनियाल गाँव दे0दून

ने स्वीकार किया ।

पहचान श्री आर0 के0शुक्ला

पुत्र श्री

निवासी एडवोकेट दे0दून

श्री डी0पी0बिष्ट

पुत्र श्री

निवासी

ने की

उपनिबंधक सदर 2 देहरादून

गु0 चरण सिंह बाथ [ब्रिगेडियर]

रोहित बख्शी

आर0 के0शुक्ला

डी0पी0बिष्ट

CROUN 1.0 NIC

(21)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये
सत्यमेव जयते
INDIA NON JUDICIAL
उत्तरांचल UTTARANCHAL A 300076

13 JUL 2009

और जैसा कि विक्रेता सूची में वर्णित भूमि क्रेता को मु0 1,20,000/– रू0 (एक लाख बीस हजार रूपये) मे विक्रय करने को सहमत है तथा क्रेता भी इसी कीमत में क्रय करने को सहमत है। इस कारण यह विक्रय विलेख अंकित किया जा रहा है।

अतः यह विक्रय विलेख निम्न दर्शाता है :–

1. यह कि क्रेता ने विक्रेता को सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि मु0 1,20,000/– रू0 (एक लाख बीस हजार रूपये) निम्न प्रकार से अदा कर दिये हैं जिनकी प्राप्ति की पुष्टि विक्रेता अपनी पूर्ण सन्तुष्टि में सब रजिस्ट्रार कार्यालय, देहरादून के समक्ष करता है :–

क.	मु0 20,000/–	नकद।
ख.	मु0 1,00,000/–	द्वारा चैक सं0 389070, केनरा बैंक, शाखा वैल्हम ब्याज स्कूल, देहरादून दिनांक 27.07.2009।

कुल मु0 1,20,000/– रू0 (एक लाख बीस हजार रूपये)

विक्रय मूल्य की बाबत अब कुछ भी लेना–देना शेष नहीं रह गया है।

2. यह कि उपरोक्त सम्पूर्ण विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्ति की एवज में विक्रेता ने सूची में वर्णित भूमि तथा उसमें निहित अपने समस्त अधिकार कि जिनमें हवा, पानी, रास्ता, नाली, आदि आदि के अधिकार शामिल हैं तथा वे अधिकार कि जो विक्रेता को वर्तमान में प्राप्त हैं तथा भविष्य में प्राप्त हो सकते हैं स्थायी रूप से सदैव हेतु क्रेता को विक्रीत, अन्तरित एवं हस्तान्तरित कर दिये हैं तथा स्थल से अपना कब्जा हटाकर व उठाकर

(20)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL A 300077

अपने समान बतौर मालिक स्वामी क्रेता को काबिज, कब्जा व अध्यासित करा दिया है।

3. यह कि आज से क्रेता विक्रीत भूमि की विक्रेता के समान एक मात्र मालिक, स्वामी, काबिज हो गया है। आज से क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि से जिस प्रकार चाहे लाभ उठावे, हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लावे, रहन, विक्रय, दान वसीयत आदि करे, मानचित्र स्वीकृत कराये, निर्माण करे, बिजली, पानी संयोग आदि लगवाये, संस्था या बैंक से ऋण आदि प्राप्त करें, सम्बन्धित अभिलेखों में स्वामी के नाते अपना नाम अंकित कराये। विक्रेता को विक्रित भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार प्राप्त थे, वे सब आज क्रेता को प्राप्त हो गये हैं तथा आज से क्रेता विक्रित भूमि का स्वामी, काबिज, कब्जा, मालिक अभ्यासी हो गया है।

4. यह कि विक्रित भूमि की बाबत आज तक के जो भी कर, टैक्स आदि देय हैं, उन सबको अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की है और आज के बाद से क्रेता अदा करेगा।

5. यह कि यदि क्रेता को भविष्य में विक्रित भूमि के स्वामित्व तथा कब्जे आदि की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख लिखाने की आवश्यकता हुई तो विक्रेता ऐसा लेख क्रेता के व्यय व अनुरोध पर लिखने के लिए सदैव तैयार रहेगा।

6.— यह कि यदि विक्रेता के स्वामित्व अधिकार में कमी पायी जाने के कारण अथवा भार बन्धन आदि भविष्य में प्रकट होने के कारण अथवा विक्रेता के किसी दोष के कारण विक्रित भूमि या उसका कोई भाग क्रेता

(19)

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA
रु. 500 FIVE HUNDRED RUPEES
पाँच सौ रुपये सत्यमेव जयते Rs. 500
INDIA NON JUDICIAL
उत्तरांचल UTTARANCHAL A 300072
13 JUL 2007

के अधिकार, स्वामित्व तथा कब्जे आदि से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकल गयी सम्पत्ति के अनुपात का यथार्थ मूल्य अपने हर्जे व खर्चे आदि सहित विक्रेता से व उसकी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर ले, इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

7. क्रेता को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अपना नाम अंकित करा ले। विक्रेता नामांकन की कार्यवाही में क्रेता को पूर्ण सहयोग देगा।

8. इस विक्रय पत्र में विक्रेता व क्रेता में उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न व हित प्रतिनिधि आदि भी शामिल हैं व सदैव शामिल समझे जायेंगे।

<u>वांछित विवरण</u>

1. यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति से सम्बन्धित नही हैं।
2. यह कि विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नहीं है।
3. यह कि विक्रीत सम्पत्ति सीलिंग के प्रावधानों से मुक्त है तथा विक्रीत भूमि की बाबत कोई सीलिंग विवाद लम्बित नहीं है।
4. यह कि विक्रीत भूमि में कोई पेड़, बाग आदि नहीं है।
5. यह कि विक्रित भूमि मुख्य मसूरी रोड से 3 किलो मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है ।

(18)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

A 300073

उत्तरांचल UTTARANCHAL

13 JUL 2003

6. यह कि विक्रीत भूमि नगर निगम, देहरादून की सीमा से बाहर स्थित है।

7. यह कि क्रेता के पास जनपद देहरादून में अपने स्वामित्व की भूमि / सम्पत्ति है जिसका प्रमाण संलग्न है इस प्रकार क्रेता द्वारा भूमि क्रय किये जाने से उत्तरांचल अधिनियम 29 वर्ष 2003 के प्रावधानों का पूर्णतः पालन किया गया है।

8. यह कि विक्रीत की जा रही भूमि का कुल क्षेत्रफल 63 वर्ग मीटर है। जिसके क्षेत्र का सर्किल रेट रूपये 2400/-प्रति वर्गमीटर निर्धारित है। जिसके हिसाब से विक्रीत भूमि का बाजारी मूल्य रूपये 1,51,200/-रूपये बनता है जिस पर 8 प्रतिशत की दर से मु0 12,300/-रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

विवरण विक्रीत भूमि

भूमिधरी भूमि खसरा नं0 55 रकबा 63 वर्गमीटर स्थित मौजा गुन्याल गांव, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून जिसकी सीमाएं निम्न प्रकार हैं :-

पूरब में :- लगभग 10 फीट चौडी सडक, सीमा नाप 8 मीटर।
पश्चिम :- नाला, सीमा नाप 10 मीटर।
उत्तर में :- लगभग 10 फीट चौडी सडक, सीमा नाप 6 मीटर।
दक्षिण में :- सम्पत्ति श्रीमती आयशा बख्शी, सीमा नाप 8 मीटर।

ABakshi

(17)

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 27–09–2009 को स्थान देहरादून में निम्न साक्षियों के समक्ष अंकित व सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

ह0 / .... विक्रेता ह0 / .... क्रेता

विक्रेता का नाम व पता :– बिग्रेडियर गुरूचरण सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ, निवासी ग्राम गुन्यिाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून ।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	माध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

(16)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE

HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

D 588276

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी माध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

विक्रेता के हस्ताक्षर

क्रेता का नाम व पता :– श्री रोहित बख्शी पुत्र कर्नल आर0एन0 बख्शी, निवासी ग्राम पुरकल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह्

अंगुष्ठ तर्जनी माध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

(15)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

रु. 100

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

D 588277

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

दायें हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	माध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

Abakshi

क्रेता के हस्ताक्षर

गवाह –1 R.K. Shukla

R.K. Shukla

श्री आर0के0 शुक्ला,

एडवोकेट,

देहरादून।

गवाह –2

D.P. Rawat

Advo.

Civil Court

D.Dun.

रचियता : श्री आर0 के0 शुक्ला, एडवोकेट।

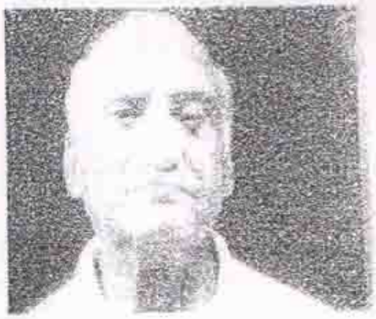

विक्रेता

क्रेता

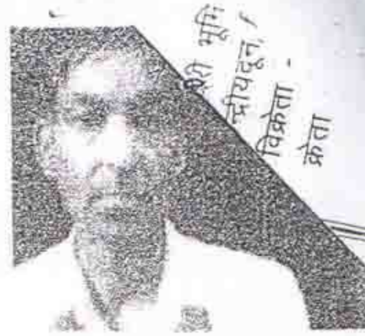

गवाह

बही न. 1 जिल्द 2692 पृष्ठ 215 से 236

में न. 3974 पर आज दिनांक 27/07/2009 में रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

मानचित्र

भूमिधरी भूमि खसरा नं0 55 रकबा 63 वर्गमीटर स्थित मौजा गुन्यिाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून।

विक्रेता – बिग्रेडियर गुरुचरण सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ

क्रेता – श्री रौहित बख्शी पुत्र कर्नल आर0एन0 बख्शी

NOT TO THE SCALE

हस्ताक्षर विक्रेता

हस्ताक्षर क्रेता

विक्रेता

क्रेता

गवाह

बही न. 1 जिल्द 2692 पृष्ठ 215 से 236

मे न. 3974 पर आज दिनांक 27/07/2009 मे रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

13

5641

P-22

विक्रय पत्र
वांछित विवरण

1.	मालियत विक्रय पत्र	–	4,00,000 /– रू0
2.	बाजारी मूल्य	–	4,01,188 /– रू0
3.	स्टाम्प शुल्क जो दिया जा रहा है	–	29,200 /– रू0
4.	सर्किल रेट	–	2400 /– रूपये प्रति वर्ग मीटर
5.	क्षेत्र	–	मौजा गुनियाल गांव
6.	स्थान	–	देहरादून
7.	भूमि का प्रकार	–	आवासीय हेतू
8.	प्रमुख मार्ग से दूरी	–	विक्रित भूमि मुख्य मसूरी रोड से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है ।
9.	भूमि खसरा संख्या	–	भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 167.45 वर्ग मीटर अर्थात 200 वर्ग गज स्थित मौजा गुनियाल गांव परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून
10.	रकबा	–	167.45 वर्ग मीटर
11.	विक्रेता का नाम	–	ब्रिगेडियर गुरूचरन सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ, निवासी ग्राम गुनियाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिल देहरादून।
12.	क्रेता का नाम	–	श्रीमती आयशा बक्शी पत्नी श्री रोहि बक्शी निवासी पुरकल गांव, परगन केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून
13.	स्टाम्प शीट संख्या	–	9 शीट
14.	रचियता	–	श्री आर0के0 शुक्ला एडवोकेट।

10000 रु. भारतीय गैर न्यायिक Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

472539

मुख्य कोषाधिकारी कोषागार, देहरादून
- 4 DEC 2008
निर्गत किया
कोड सं. 001

विक्रय पत्र

मै, कि ब्रिगेडियर गुरूचरन सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ निवासी ग्राम गुनियाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून।

.... विक्रेता

एवं

श्रीमती आयशा बक्शी पत्नी श्री रोहित बक्शी निवासी पुरकल गांव, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून।

........................क्रेता

विदित हो कि विक्रेता इस विलेख की सूची में वर्णित भूमि का एकमात्र मालिक,स्वामी, भूमिधर , काबिज अध्यासी है । विक्रेता का नाम सूची में वर्णित भूमि की बाबत राजस्व अभिलेखों में बतौर वर्ग — 1 क सक्रमणीय भूमिधर दर्ज व अंकित चला आ रहा है तथा विक्रेता के अलावा अन्य कोई व्यक्ति साझीदार, भागीदार नही है। सूची में वर्णित भूमि इस समय तक हर प्रकार के भार, अधिभार, बन्धन, बन्धक, ऋण, आज्ञाप्ति, कुर्की, वाद–विवाद, कर्जा सरकारी, गैर सरकारी आदि से मुक्त व पाक साफ है तथा विक्रेता को सूची में वर्णित भूमि को प्रत्येक प्रकार से प्रयोग, उपयोग, उपभोग, विक्रीत, अन्तरित, हस्तान्तरित आदि का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।

और जैसा कि विक्रेता सूची मे वर्णित भूमि को क्रेता को मु0 4,00,000/– रू0

SALE (IMMOVABLE) प्रलेख नः 5641

SALE		400000.00	मालियत (स्टाम्प दिया गया)	402000.00
रजिस्ट्रेशन फीस	पेस्टिंग शुल्क	Electronic Processing Fee	कुल योग	शुल्क लगभग
5000.00	10.00	220.00	5230	

श्री/श्रीमती/कुमारी आयशा बक्शी

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रोहित बकशी

निवासी पुरकल गॉव देहरादून

ने आज दिनाँक 08/12/2008 समय 11:52:09AM

कार्यालय उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

में प्रस्तुत की

उपनिबंधक सदर 2 देहरादून

आयशा बक्शी

इस लेखपत्र का निष्पादन उक्त

श्री आयशा बक्शी ,w/o रोहित बकशी , पुरकल गॉव देहरादून

ने स्वीकार किया तथा विलेख का निष्पादन तथा उसमें वर्णित विक्रय

धन मु0 400000.00

पूर्व/नगद ~~से समक्ष~~ प्राप्त कर लेखानुसार

श्री गुरचरन सिह बाथ [बिग्रेडियर] ,s/o तेजा सिह बाथ , गुनियाल गॉव देहरादून

ने स्वीकार किया ।

पहचान श्री ले0कर्नल नन्द कुमार भगतजी

पुत्र श्री कै0रूप चन्द भगतजी

निवासी 45/1 चकराता रोड देहरादून

श्री आर0के0शुक्ला

पुत्र श्री

निवासी एडवोकेट दे0दून

ने की

उपनिबंधक सदर 2 देहरादून

गुरचरन सिह बाथ [बिग्रेडियर] | आयशा बक्शी | ले0कर्नल नन्द कुमार भगतजी | आर0के0शुक्ला

CROUN 1.0 NIC-UTTARANCHAL

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तरांचल UTTARANCHAL

284374

...कर व उठाकर अपने समान बतौर मालिक स्वामी क्रेता को काबिज व अध्यासित करा दिया है।

3. यह कि आज से क्रेता विक्रीत भूमि की विक्रेता के समान एक मात्र मालिक काबिज हो गयी है। आज से क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रीत भूमि से जिस प्रकार चाहे लाभ उठावे, हर प्रकार से अपने उपयोग व उपभोग में लावे, व्यापार करे, रहन, विक्रय, दान वसीयत आदि करें, मानचित्र स्वीकृत कराये, निर्माण करे, बिजली, पानी आदि लगवाये, राजस्व अभिलेखों में स्वामी के नाते अपना नाम अंकित करायें। विक्रेता को विक्रित भूमि में जो भी मालिकाना अधिकार प्राप्त थे, वे सब आज से क्रेता को प्राप्त हो गये हैं तथा आज से क्रेता विक्रित भूमि की एकमात्र मालिक,स्वामी, काबिज, अध्यासी हो गयी है।

4. यह कि विक्रीत भूमि की बाबत आज तक के जो भी टैक्स वाजिब हैं उनको अदा करने की जिम्मेदारी विक्रेता की होगी तथा आज के बाद से क्रेता की होगी।

5. यह कि यदि क्रेता को भविष्य में विक्रित भूमि के स्वामित्व तथा कब्जे आदि की पुष्टि हेतु कोई अन्य लेख लिखाने की आवश्यकता हुई तो विक्रेता ऐसा लेख क्रेता के व्यय पर लिखने के लिए सदैव तैयार रहेगा।

(9)

UTTARAKHAND 408874

-4 DEC 2008

6. यह कि यदि विक्रेता के स्वामित्व अधिकार में कमी पायी जाने के कारण अथवा भार बन्धन आदि भविष्य में प्रकट होने के कारण अथवा विक्रेता के किसी दोष के कारण कुल विक्रित भूमि या उसका कोई भाग क्रेता के अधिकार, स्वामित्व तथा कब्जे आदि से निकल जाये तो क्रेता को अधिकार होगा कि वह निकल गयी भूमि के अनुपात का यर्थात मूल्य अपने हर्जे व खर्चे आदि सहित विक्रेता से व उनकी अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लें, इस पर विक्रेता को कोई आपत्ति नही होगी।

7. क्रेता को अधिकार होगा कि वह राजस्व अभिलेखों में बतौर स्वामी अपना नाम अंकित करा लें। विक्रेता नामांकन की कार्यवाही में क्रेता को पूर्ण सहयोग देगा।

8. इस विक्रय पत्र में विक्रेता व क्रेता में उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न व हित प्रतिनिधि आदि भी शामिल है व सदैव शामिल समझे जायेंगे।

9

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

₹1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

UTTARAKHAND 408875

वांछित विवरण

1. यह कि विक्रेता एवं क्रेता अनुसूचित जाति व जनजाति से सम्बन्धित नही है।
2. यह कि विक्रेता एवं क्रेता के मध्य पूर्व में कोई इकरारनामा पंजीकृत नही है।
3. यह कि विक्रीत भूमि सीलिंग के प्राविधानों से मुक्त है तथा विक्रीत सम्पत्ति की बाबत कोई सीलिंग विवाद लम्बित नही है।
4. यह कि विक्रीत भूमि में कोई पेड बाग, निर्माण नही है।
5. यह कि विक्रित भूमि मुख्य मसूरी रोड से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित है ।

(6)

(7)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RU... EES

₹1000 Rs.10...

INDIA

कोषागार, देहरादून
-4 DEC 2008

...ARAKHAND 408876

6. यह कि विक्रित की जा रही भूमि नगर निगम, की सीमा से बाहर स्थित है।

7. यह कि विक्रीत भूमि औघोगिक क्षेत्र में नही है।

8. यह कि विक्रित की जा रही भूमि की कलेक्टर देहरादून द्वारा निर्धारित सर्किल रेट मु0 2,400/— रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मु0 रूपये 4,01,188/— रूपये आती है। क्रेता महिला है जिस कारण महिलाओं को उत्तराखण्ड शासन द्वारा छूट प्रदान किये जाने के कारण 7.25 प्रतिशत की दर से मु0 29,200/— रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया जा रहा है।

9. यह कि क्रेता उत्तरांचल की मूल निवासी है व कृषक परिवार से है नकल खतौनी संलग्न है। जिस कारण क्रेता द्वारा भूमि क्रय किये जाने से उत्तरांचल भू-अधिनियम सं0 29 वर्ष 2003 यथा संशोधित 2007 के प्रावधानों का उलंघन नही होता है।

<u>विवरण विक्रीत भूमि</u>

भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 167.45 वर्ग मीटर अर्थात 200 वर्ग गज स्थित मौजा गुनियाल गांव परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून जिसकी सीमायें व नाप निम्न प्रकार हैं :-

पूरब में	— 10 फीट चौडी सडक, सीमा में नाप 20 मीटर
पश्चिम में	— नाला, सीमा में नाप 20 मीटर
उत्तर में	— भूमि विक्रेता, सीमा में नाप 8.3 मीटर
दक्षिण में	— भूमि विक्रेता, सीमा में नाप 8. 3 मीटर

(6)

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

40887

-4 DEC 2008

अतः यह विक्रय पत्र आज दिनांक 08-12-2008 को स्थान देहरादून में निम्न साक्षियों के समक्ष अंकित व सम्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

ह0 / ...... विक्रेता

ह0 / ...... क्रेता

विक्रेता का नाम व पता :–ब्रिगेडियर गुरुचरन सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ निवासी ग्राम गुनियाल गांव, परगना केन्द्रीयदून, तहसील व जिला देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

	तर्जनी	माध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

दांये हाथ (RIGHT ... की ... के चिन्ह

अंगुष्ठ	तर्जनी	माध्यमा	अनामिका	कनिष्ठिका

विक्रेता के हस्ताक्षर

कचहरी, देहरादून

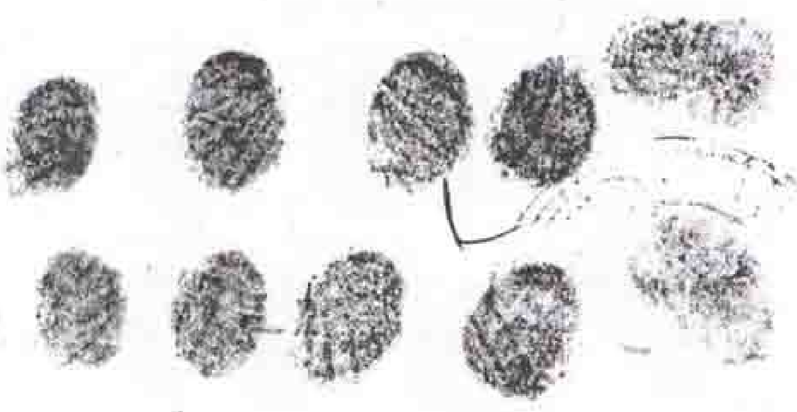

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

D 045031

क्रेता का नाम व पता :– श्रीमती आयशा बक्शी पत्नी श्री रोहित बक्शी निवासी पुरकल गांव, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून।

बायें हाथ (Left Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी माध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

(4)

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

D 045032

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

दांया हाथ (Right Hand) की अंगुलियों के चिन्ह

अंगुष्ठ तर्जनी माध्यमा अनामिका कनिष्ठिका

क्रेता के हस्ताक्षर

साक्षी 1–

लै० कर्नल नन्द कुमार भगतजी
पुत्र कै० रूप चन्द भगतजी
45/1 चकराता रोड, देहरादून।

साक्षी 2–

श्री आर०के० शुक्ला,एडवोकेट

नोट: मेरे कार्यालय में टाईप किया गया। (आर०के० शुक्ला), एडवोकेट

95/2
5/12/08 10

93
ला.नं. ....
जगत प्रसाद
स्टाम्प विक्रेता
कचहरी, देहरादून

विक्रेता

क्रेता

गवाह

बही न. 1 जिल्द 2440 पृष्ठ 275 से [illegible]

में न. 5641 पर आज दिनांक 08/12/2008 में रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

(3)

नक्शा नजरी

भूमिधरी भूमि खसरा नम्बर 55 रकबा 167.45 वर्ग मीटर अर्थात 200 वर्ग गज स्थित मौजा गुनियाल गांव परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून

विक्रेता– **ब्रिगेडियर गुरूचरन सिंह बाथ पुत्र श्री तेजा सिंह बाथ**

क्रेता – **श्रीमती आयशा बक्शी पत्नी श्री रोहित बक्शी**

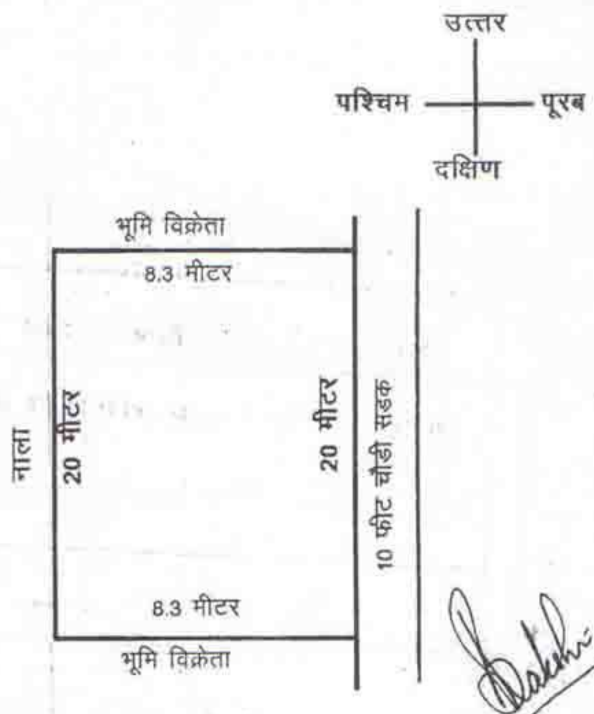

हस्ताक्षर –विक्रेता

हस्ताक्षर– क्रेता

विक्रेता

क्रेता

गवाह

बही न. 1 जिल्द 2440 पृष्ठ 275 से 296

में न. 5641 पर आज दिनांक 08/12/2008 में रजिस्ट्री की गई ।

उप निबन्धक सदर 2 देहरादून

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK81432263919497S
Certificate Issued Date	:	19-Aug-2020 04:24 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1304404/ DEHRADUN/ UK-DH
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK130440465876897034123S
Purchased by	:	SMT AYESHA BAKSHI
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	NA
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SMT AYESHA BAKSHI
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	SMT AYESHA BAKSHI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY Rajender Singh Negi Advocate Dehradun District Regd. No. 19/04/2007 NOTARIAL UTTARAKHAND

सोनल अग्रवाल
स्टाम्प विक्रेता–236
कोर्ट कम्पाउन्ड, दे.दून
मो0–7830516309

-------------------- Please write or type below this line --------------------

ABakshi

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at "www.shcilestamp.com". Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

शपथ पत्र

समक्ष जिला पर्यटन विकास अधिकारी जनपद देहरादून।

शपथपत्र ओर से श्रीमती आयशा बक्शी पत्नी श्री रोहित बक्शी निवासी– ग्राम गुनियाल, पुरूकुल रोड जिला देहरादून।

...............शपथकर्ती

मै उपरोक्त शपथकर्ती शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करती हूँ–

1. यह कि शपथकर्ती का उपरोक्त नाम एवं पता सत्य एवं सही है।
2. यह कि ग्राम गुनियाल, पुरूकुल रोड जिला देहरादून उत्तराखण्ड में निर्मित आवसीय भवन शपथकर्ती एंव शपथकर्ती की पति श्री रोहित बक्शी के संयुक्त स्वामित्व की भूमि पर निर्मित है, जिसके स्वामित्व पर कोई झगडा व विवाद नही है।
3. यह कि शपथकर्ती के पति श्री रोहित बक्शी उक्त भवन के 04 कमरो को अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना के अन्तर्गत पंजीकृत करवाकर संचालन कर रहे है जिसके नवीनीकरण/पजींकरण हेतु उनके द्वारा आवेदन किया गया है /किया जा रहा है।
4. यह कि उक्त भवन का अतिथि उत्तराखण्ड गृह आवास (होम स्टे) योजना में नवीनीकरण/पजींकरण शपथकर्ती के पति श्री रोहित बक्शी के नाम पर होने तथा उनके द्वारा उक्त भवन पर (होम स्टे) का संचालन किये जाने पर शपथकर्ती को कोई आपत्ति नहीं है। और न ही भविष्य में कोई आपत्ति होगी। वरन पूर्ण सहमति है।

.....शपथकर्ती

सत्यापनः –

मै उपरोक्त शपथकर्ती आज दिनांक 19.08.2020 को स्थान देहरादून मे पुष्टि करती हूँ कि उक्त शपथपत्र की चरण स0–1 से 4 मेरे निजी ज्ञान मे सत्य एवं सही है।

NOTARY
Rajender Singh Negi
Advocate
Dehradun District
Regn. No. 19(01)/2002
GOVT. OF UTTARAKHAND

This affidavit is sworn before me by
Shri..
who is identified by Shri ....
at Dehradun on ....

(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun

...................शपथकर्ती